माननीय न्यायालय - श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, म०प्र० ग्वालियर,

कैम्प रीवा (मध्यप्रदेश)

=-=

निगरानी 453-III-15

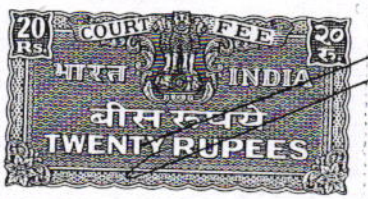

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

53 19-2-15

रामखेलावन गुप्ता तनय श्री जगजाहिर गुप्ता, सा० छवारी, पोस्ट करवाही, पुलिस थाना मझौली, तहसील गोपदबनास जिला सीधीम०प्र० ----- आवेदक निगरानीकर्ता

बनाम

1, अमिता सिंह पत्नी रावेन्द्र सिंह गोंड़ निवासीग्राम छवारी, तहसील - गोपदबनास जिला सीधी म०प्र०

2. मध्यप्रदेश शासन् --- अनावेदकगण/ उत्तरवादीगण

श्री राकेश कुमार मिश्रा एड द्वारा आज दिनांक 19-02-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 4594 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त 23-2-15 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, वृत्त सेमरिया तहसील गोपदबनास, जिलासीधीम०प्र० प्रकरण क्रमांक- 95/अ-12/2013-014 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2014,

---

निगरानी अन्तरगत धारा-50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,

= -=

मान्यवर,

निम्नलिखित निगरानी पेश है :--

1/ यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विषयांकित आदेश विधि,प्रक्रिया,तथ्यों एवं सहज न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

2/ यह कि आपत्तिकर्ता/निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अदालत मातहत द्वारा किसी भी तरह का उसे सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया , और बिना साक्ष्य लिये ही सीमांकन की पुष्टि कर दी गई ,इस कारण भी आदेश अदालत मातहत निरस्तगी योग्य है ।

3/ यह कि सीमांकन करते समय किसी भी "पक्की आंक"/स्थायी सीमाचिन्ह

19/2/15

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-453/III/15 जिला सीधी

रामविलास विरुद्ध अमिता सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-12-15	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण में पूर्ववर्ती दिनांक 14-10-15 को आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण से संबंधित अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया था। आवेदक अधि० द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के बाद भी प्रकरण से संबंधित सुसंगत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे प्रथम दृष्टया ही यह प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण को विधि संगत रूप से प्रतिरक्षण करने में रुचि नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में वही तथ्य प्रस्तुत किये गए, जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के चुनौतीयुक्त आदेश दिनांक 13-12-14 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता कि अधी० न्यायालय के आक्षेपित आदेश से आवेदक के हित जुड़े है जो प्रभावित हुए है। यहां यह भी विचारणीय है कि आवेदक अधिवक्ता को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु न्यायहित में समय भी प्रदान किया गया था, किन्तु आवेदक अधिवक्ता द्वारा अवसर का लाभ उठाकर प्रकरण में योग्य प्रतिरक्षण	

[कृ. प. उ.

R.453/11/15 — सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रवेशावन — अमिता सिंह	
	करने में रुचि नहीं ली गई। जिससे संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में रुचि नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। 1.12.15 सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.